न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाडा
न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प मंगरोप

पीठसीन अधिकारीः–रामावतार बरनाला (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्याः–01/18

2018
50094

1.गोपाल लाल कुमावत पिता मांगीलाल जी कुमावत निवासी छोटा काबरा

––प्रार्थीगण

बनाम

1.सोहन पिता मांगीलाल, भैरू पिता मांगीलाल, कमली पिता मांगीलाल भील, रामू पिता मांगीलाल भील, जमनी पिता मांगीलाल भील निवासी छोटा काबरा

2.सीता पिता मोहन, जानकीलाल पिता प्यार चंद, कैलाश पिता प्यार चंद, गिरधारी पिता रूगनाथ कुमावत, नानी पिता रूगनाथ कुमावत, देऊ पिता रूगनाथ कुमावत निवासी छोटा काबरा

3.नगजी राम पिता चुनालाल भील, लालाराम पिता चुनालाल भील निवासी छोटा काबरा

––विपक्षीगण

–––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

––

:: निर्णय :: दिनांकः– 21/06/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प मंगरोप पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का मंगरोप भू अभिलेख निरिक्षक मंगरोप तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1414/1, 1415/1, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 कुल किता 8 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21/06/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का मंगरोप भू अभिलेख निरिक्षक मंगरोप की आराजी नम्बर 1414/1, 1415/1, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 कुल किता 8 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 800/–रू0 (अक्षरे– आठ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपिः— तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ